अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 03 / 2014

शिव प्रसाद राय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा,सदर, छपरा)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
10.06.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 1060/आ०, दिनांक 20.12.2013 के विरूद्ध दाखिल है। यह माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल वाद सं० 9122/2014 में पारित आदेश दिनांक 26.03.15 से संबंधित है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि श्री सुदामा दास एवं अन्य ग्रामीण जनता ग्राम कंठ छपरा पंचायत गोवा पिपरपाती प्रखंड बनियापुर के द्वारा शिवनाथ प्रसाद राय ज०वि०प्र०वि० के विरूद्ध दिये गए परिवाद पत्र की जॉच अंचल अधिकारी –सह– प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बनियापुर के द्वारा दिनांक 16.08.13 को 11.00 बजे पूर्वाहन् में की गई। जॉच के दौरान जॉच पदाधिकारी के द्वारा एक एक करके सभी परिवादकर्ताओं से बयान लिया गया। उपस्थित सभी लोगों में विक्रेता के प्रति काफी आक्रोश देखा गया एवं विक्रेता के द्वारा किरासन तेल तीन माह पर एक बार देने एवं सभी कूपन एक साथ जबरदस्ती फार लेने तथा अधिक मूल्य लेने की शिकायत की गई। उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, के ज्ञापांक 679 दिनांक 03.09.13 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया, जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई।	

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि परिवादी गण के द्वारा माह जून एंव जुलाई 2013 में कूपन नहीं बटने के कारण पूर्व के आधार पर तेल का उठाव कर लिया गया था। परन्तु माह अगस्त 2013 में तेल लेने के समय तीनों माह के कूपन की मॉग करने पर उनके द्वारा कूपन देने से इनकार कर दिया गया एवं तेल का उठाव न करके एक बार में तीन तीन कूपन लेने का और तेल नहीं देने का परिवाद पत्र दिया गया, जिसके कारण माह अगस्त 2013 में उनका तेल अवशेष बच गया, जो आज भी भण्डार में भी सुरक्षित है। विक्रेता के द्वारा हर माह नियमित रूप से किरासन तेल का उठाव कर संबंधित उपभोक्ताओं के बीच पंचायत स्तरीय गठित निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष वितरण किया जाता है। जिस माह का तेल वितरित किया जाता है उसी माह का कूपन लिया जाता है। विक्रेता के विरूद्ध लगाये गए सभी आरोप गलत है। जॉच पदाधिकारी के द्वारा यदि परिवादियों के साथ साथ निगरानी समिति के सदस्यों का बयान भी लिया जाता तो वास्तिविकता का पता चल जाता। विक्रेता की दूकान से संबंधित अधिकांश उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के पक्ष में आवेदन दिया गया है। विक्रेता के द्वारा भण्डार पंजी एवं वितरण पंजी की प्रति अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में आचरण न करके गंभीर अनियमितताएं बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 1060/आ0, दिनांक 20.12.2013) एक मुखर आदेश नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अभिलेख में रक्षित 25 उपभोक्ताओं के द्वारा दिये गए बयान की प्रति विक्रेता को उपलब्ध नहीं करायी गयी या न ही ग्रामीण जनता के द्वारा दिये गए शिकायती आवेदन की प्रति ही विक्रेता को उपलब्ध करायी गयी। इस तरह विक्रेता से किया गया कारण पृच्छा अपने आप मे अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुये इस निर्देश के साथ अभिलेख को रिमांड किया जाता है कि विक्रेता को सभी प्रासंगिक कागजातों की प्रति उपलब्ध कराते हुये पुनः सभी बिन्दुओं पर कारण पृच्छा किया

जाय, विकेता को सुनवाई का एक मौका दिया जाय एवं विकेता से प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधि सम्मत मुखर आदेश पारित किया जाय।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 396 /दिनांक 10/6/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विद्वान विशेष लोक अभियोजक 7 ई0सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0 सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।